संख्या- 09/2016/484/बयालिस-2016-50(बजट)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2016**

विषय- म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेक्स, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में बैडमिन्टन हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1470/नि0 म्योहाल स्टै0पत्रा0/2015-16, दिनांक 04 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेक्स, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में बैडमिन्टन हाल के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 28/750/बयालिस-2015-50(बजट)/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा निर्गत रू0 1220.97 लाख (रू0 बारह करोड़ बीस लाख सत्तान्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 920.97 लाख (रू0 नौ करोड़ बीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 920.97 लाख (रू0 नौ करोड़ बीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(Vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- प्रायोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6)- मूल शासनादेश संख्या- 28/750/बयालिस-2015-50(बजट)/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के " लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-03-म्योहाल इलाहाबाद स्थित स्पोर्टस काम्पलेक्स का जीर्णोद्धार एवं बैडमिन्टन हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 09/2016/484(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5)- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, इलाहाबाद।
(6)- परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इलाहाबाद।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in